



2026:AHC:32476

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2199/2026

कंचन विश्वकर्मा

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: प्रशांत वर्धन, शरद कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शरद कुमार ने यह निवेदन किया है कि यद्यपि प्रस्तुत रिट याचिका दिनांक 10.12.2025 के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर नियुक्ति इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि उसका आय प्रमाण पत्र निरस्त हो चुका था, तथापि उक्त आय प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के विरुद्ध एक अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः, वर्तमान रिट याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है, तथा अपील के परिणाम के पश्चात् नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ, रिट याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"